उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश:जबलपुर

पृष्ठांकन क्र. C/3440 /चार–12–5/23(निर्देश) जबलपुर, दिनांक 07/05/2025

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश..........................समस्त.........मध्यप्रदेश राज्य।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,...........................समस्त.........मध्यप्रदेश राज्य।
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
4. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार(एम)/ज्वाइंट रजिस्ट्रार(एम)/ओ0एस0डी0(लेखा)/असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम) (लेखा/पेंशन अनुभाग)/प्रशासनिक अधिकारी(बजट अनुभाग)/सहायक वेतन पत्रक (राजपत्रित)/सहायक सेवा पुस्तिका (राजपत्रित) एवं सहायक (पेंशन),उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

की ओर मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र कमांक 1691/2025/21–ब(एक) भोपाल दिनांक 23.04.2025 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

नोटः– रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

06.05.25

(राजेश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार(एम)

डेमन

1220

23 APR 2025
जबलपुर
speed-1001

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 1691/2025/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 23/04/2025

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान नई संशोधित दर से महगांई भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/1(1)/2025-E.II(B) दिनांक 02/04/2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार महगांई भत्ता स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन,पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–9 के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 02/04/2025 के अनुक्रम में राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सदस्यों को **दिनांक 01/01/2025 से 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत महगांई भत्ता** भुगतान करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महगांई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/1(1)/2025-E.II(B) दिनांक 02/04/2025 में दर्शाई गई रीति से होगा।

(2) संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

(3) यह महगांई भत्ता, पारिश्रामिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे मूलभूत नियम 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

23.4.2025

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

for Registrar General
High Court of M.P.
Jabalpur

23 APR 2025
DA orders of Judicial Officers
Reg (M)

(Rajesh Kumar Sharma)
Registrar (M)
High Court of Madhya Pradesh
Jabalpur

Record room (Admn)

पृ. फा.क्रमांक 1691 / 2025 / 21—ब(एक), भोपाल, दिनांक 23 / 04 / 2025

प्रतिलिपिः—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर / ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. अतिरिक्त सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन—452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. प्रबंधक, इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
33. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
37. प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल

38. प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
39. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट एवं एफ0टी0एम0एस0 पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
40. प्रशासकीय अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.........................
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर
43. बिल लिपिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अनिल कुमार पाठक)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 1/1(1)/2025-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

North Block, New Delhi
Dated the 2nd April, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees-effective from 01.01.2025.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/5/2024-E.II(B) dated 21st October, 2024 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees, shall be enhanced from **53% to 55% of the Basic Pay with effect from 1st January, 2025.**

2. The term Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2025.

6. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

7. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under clause (5) of Article 148 of the Constitution of India.

Hindi version is attached.

(Samir Kumar Das)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)
Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.